प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

28.07.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1945 बजे

मुख्य समाचार

- प्रदेश सरकार ने राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज प्रदान करने का लिया निर्णय।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हिमाचल में प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को वन संरक्षण कानून में रियायत देने का किया आग्रह।
- राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने स्वच्छ वातावरण व पर्यावरण संरक्षण के लिए रिस्पांसिबल टूरिज़्म की आवश्यकता पर दिया बल।
- उच्चतम न्यायालय ने वन भूमि पर उगाए गए सेब के पेड़ कटान के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक।
- मौसम विभाग ने कल कांगड़ा, मण्डी व कुल्लू ज़िले में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट किया जारी।

मंत्रिमण्डल

प्रदेश सरकार ने राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंत्रिमण्डल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2023 की तर्ज पर इस बार भी आपदा प्रभावितों को मकान के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर 7 लाख, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए एक लाख रूपए दिए जाएंगे।

मंत्रिमण्डल ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी जिसका उद्देश्य समुदाय आधारित दृष्टिकोण से वनों के संरक्षण और विकास को सुदृढ़ करना है। इसके अलावा बैठक में हिमाचल प्रदेश नगर पालिका चुनाव नियम 2015 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई।

जयराम ठाकुर

पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान के बारे में अवगत करवाया। प्रधानमंत्री ने आपदा से हुए नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी ली और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्निर्माण व पुनर्वास में हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया। जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से इस आपदा में बेघर व भूमिहीन हुए लोगों को जमीन देने के लिए 'वन संरक्षण कानून' में रियायत देने का आग्रह किया

ताकि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर दोबारा बसाया जा सके। नेता प्रतिपक्ष ने पुनर्वास व पुनर्निर्माण के लिए 'एरिया स्पेसिफिक' राहत पैकेज देने और प्रदेश में बार–बार आ रही प्राकृतिक आपदा के कारणों के अध्ययन के लिए भी प्रधानमंत्री से आग्रह किया। उन्होंने आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस आपदा की वजह से प्रदेश में 12 सौ करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जिसमें लगभग एक हजार करोड़ से अधिक का नुकसान सराज विधानसभा क्षेत्र में ही हुआ है।

आकांक्षा हाट

केन्द्र सरकार के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत कुल्लू में आकांक्षा हाट का आयोजन किया गया है जो 2 अगस्त तक चलेगा। आकांक्षा हाट में करीब 21 विभागों की प्रदर्शनी और विभिन्न समूहों द्वारा स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। ज़िला उपायुक्त तोरूल एस. रवीश ने बताया कि नीति आयोग के एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत ज़िले के निरमण्ड ब्लॉक को प्रदेशभर में कांस्य पदक मिला है और इस उपलब्धि को मनाने के लिए आकांक्षा हाट का आयोजन किया गया है।

इस बीच, निरमण्ड ब्लॉक के स्वयं सहायता समूह की सदस्य रीता देवी ने बताया कि प्रदर्शनी के माध्यम से महिलाओं को अपने सामान की बिक्री की सुविधा मिल रही है और उनकी आर्थिकी सुदृढ हो रही है।

राज्यपाल

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज चम्बा ज़िला में मिस्टिक विलेज खजियार पुखरी का दौरा किया और गांव की प्राकृतिक खूबसूरती व समृद्ध संस्कृति की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि स्वच्छ वातावरण और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत रिस्पांसिबल टूरिज़्म वर्तमान समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने से न केवल ग्रामीण लोगों की आर्थिकी मज़बूत होगी बल्कि इससे प्रदेश की समृद्ध संस्कृति देश–विदेश तक पहुंचेगी। राज्यपाल ने मिस्टिक विलेज खजियार में पर्यटन सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और आवाजाही की सुविधा को और अधिक बेहतर करने का मामला केन्द्र सरकार व केन्द्रीय वन मंत्रालय के समक्ष उठाने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी मौजूद रहीं।

सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 2 जुलाई के वन भूमि पर उगाए गए सेब के पेड़ काटने के आदेश पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायाधीश के. विनोदचंद्रन और न्यायाधीश एन.वी. अंजारिया की पीठ ने शिमला नगर निगम के पूर्व उपमहापौर टिकेन्द्र सिंह पंवर की याचिका पर ये आदेश पारित किए। नगर निगम शिमला के पूर्व महापौर संजय चौहान ने उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है।

शिमला शहर के उपमहापौर रहे हैं टिकेंद्र सिंह पंवर, उन्होंने एक याचिका दायर की थी माननीय उच्चतम न्यायालय में कि इस तरह से जो है ये जो पेड़ों का कटान है ये अनसाइंटिफिक है, पर्यावरण को नुकसान करता है और अमानवीय है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो है पेड़ों के कटान पर जो है वो स्टे दे दिया है, परंतु पूरी तरह से जो है उस फैसले पर जो है रोक लगाई नहीं गई है और निर्देश दिए हैं राज्य सरकार को कि वह जो है उसका अधिग्रहण करके जो है फलों को तोड़कर जो है उसको अपने कब्जे में लेने का काम करें।

मौसम

प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रूक–रूक कर जारी है और बीते 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर भारी वर्षा हुई है। मौसम विज्ञान केन्द्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश में आगामी 30 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कल 29 जुलाई को कांगड़ा, मण्डी और कुल्लू ज़िले में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

इंदु–राजीव

केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ऊना ज़िला में हरोली विधानसभा क्षेत्र के तहत स्वां नदी पर झलेड़ा–घालुवाल डबल–लेन पुल के निर्माण के लिए मार्च 2025 में 36 करोड़ 93 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं। संसद में राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी के सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज के एक सवाल के जवाब में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बैजनाथ–भरमौर–उतराला–होली सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किया गया है।

प्रतिनिधिमंडल

राज्यसभा सांसद व प्रदेश भाजपा महामंत्री डॉक्टर सिकंदर कुमार के नेतृत्व में भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जनकराज और आनी के विधायक लोकेन्द्र कुमार के साथ आए प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। इस दौरान विधायक डॉक्टर जनकराज ने केन्द्रीय मंत्री से द्रमण–किलाड़–लेह–कारगिल मार्ग को जल्द मंजूरी प्रदान करने और प्रस्तावित टनल व सड़कों के लिए अतिरिक्त बजट स्वीकृत करने का आग्रह किया। वहीं विधायक लोकेन्द्र कुमार ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कुल्लू के नोर–लूहरी सड़क मार्ग के उन्नयन के लिए सी.आर.आई.एफ. और पी.एम.पी.एस.वाई. के तहत विशेष सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सभी मांगों को जल्द स्वीकृति प्रदान करने और इन्हें समयबद्ध पूरा करने का आश्वासन दिया।

मुख्य समाचार एक बार फिर

- प्रदेश सरकार ने राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज प्रदान करने का लिया निर्णय।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हिमाचल में प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को वन संरक्षण कानून में रियायत देने का किया आग्रह।
- राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने स्वच्छ वातावरण व पर्यावरण संरक्षण के लिए रिस्पांसिबल टूरिज़्म की आवश्यकता पर दिया बल।
- उच्चतम न्यायालय ने वन भूमि पर उगाए गए सेब के पेड़ कटान के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक।
- मौसम विभाग ने कल कांगड़ा, मण्डी व कुल्लू ज़िले में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट किया जारी।